



Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar

Application for Boys Hostel Session 20..... 20.....

Pt. GuruduttVidyarthi Hostel ((M.A., M.Sc, M.B.A., M.C.A.,M.P.Ed, ,oa Ph.D.)

Name of Student:.....

Father's Name:.....

Home Address:.....

.....Ph.No:.....

Category: GEN /GEN-**EWS** /OBC/SC/ST / P.W.D (Attach Photocopy of Certificate)

Mobile Contact No. of (a) Student:(b)Father/Guardian:.....

Name of Nearest Railway/Bus Station and police Station Name:.....

Approximate Distance of Home Town (Km):.....

Percentage of Marks :

(a) I Year I Sem& II Sem () ()

(b) II year II Sem& IV Sem() ()

(c) III year V Sem& VI Sem() ()

(Attach photo copy of marks sheet & Hostel fee photo copy)

No dues from Previous Hostel -----Signature of Warden

Note:

1. Hostel Allotment will be subject to availability.
2. Submission of application does not guarantee for hostel Allotment.

Signature of Student With Date

Forwarded by Head / Dean

Hostel Allotted

Room No. Seat No.

Signature of Warden



गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

पुरुष छात्रावास हेतु आवेदन पत्र – सत्र 2021– 2022

सत्यापित
छायाचित्र

पं० गुरुदत्त विद्यार्थी छात्रावास (M.A., M.Sc, M.B.A., M.C.A., M.P.Ed, एवं Ph.D.) (✓)

छात्र का नाम :

पिता का नाम :

स्थायी निवास का पता :

.....फोन नं०—.....

श्रेणी : सामान्य / सामान्य-EWS) / पिछड़ी जाति / अनु० जाति / अनु० जनजाति / दिव्यांग)

(प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

मोबाईल न०. (क) छात्र.....(ख) पिता / अभिभावक.....

गृह नगर से नजदीकी रेलवे / बस स्टेशन एवं पुलिस स्टेशन का नाम :

गृह नगर से लगभग दूरी (किलोमीटर).....

अंक प्रतिशत

(क) प्रथम वर्ष – प्रथम सेम एवं द्वितीय सेम (.....)(.....)

(ख) द्वितीय वर्ष – तृतीय सेम एवं चतुर्थ सेम (.....)(.....)

(ग) तृतीय वर्ष – पंचम सेम एवं षष्ठम सेम (.....)(.....)

(अंक प्रमाण पत्र एवं छात्रावास फीस की फोटो कॉपी संलग्न करें।)

पूर्व छात्रावास से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि पूर्व में छात्रावास में रहे हैं)आश्रमाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नोट :-

1. छात्रावास का आवंटन उपलब्धता के आधार पर होगा।
2. आवेदन पत्र जमा करना छात्रावास आवंटन सुनिश्चित नहीं करता है।

छात्र के हस्ताक्षर दिनांक सहित

विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित

छात्रावास आवंटित

रूम न०. सीट न०.

छात्रावास अध्यक्ष हस्ताक्षर

छात्र द्वारा घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी पूर्णतया सत्य हैं। कोई भी जानकारी मेरे द्वारा गलत नहीं दी गई है, यदि कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई गई तो मेरा छात्रावास आवंटन रिस्त कर दिया जाये तथा मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय वैधानिक कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। मैं छात्रावास के सभी नियम/निर्देशों का पूर्णतया पालन करूँगा।

दिनांक :

छात्र के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

पिता के हस्ताक्षर

माता के हस्ताक्षर

संलग्न करें :

1. चरित्र-प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रति
2. गत सत्र के अंक-तालिका की सत्यापित छायाप्रति
3. विश्वविद्यालय में प्रवेश की रसीद की सत्यापित छायाप्रति
4. मूल निवास प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. यदि आरक्षण है तो उसकी सत्यापित छायाप्रति (केन्द्र के अन्तर्गत)
6. आधार कार्ड की छायाप्रति

छात्रावास में रहने वाले छात्रों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा

1. प्रत्येक छात्र को आर्यसमाज के नियम व सिद्धान्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक छात्र को साप्ताहिक यज्ञ में नियमित वेशभूषा (सफेद कुर्ता, पजामा) में उपस्थिति अनिवार्य है। अनुपस्थिति की स्थिति में आर्थिक दण्ड लगेगा। इसके बाद अनुपस्थिति की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
3. किसी भी छात्र को अपने कक्ष या छात्रावास परिसर के अन्दर बाहर के किसी भी व्यक्ति को ले जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। यदि छात्र के कमरे में या परिसर में बाहर के किसी भी व्यक्ति को देखा गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. छात्रावास में छात्र से मिलने का समय निर्धारित स्थान पर सांय 4 से 6 बजे तक के बीच ही है।
5. छात्रावास में अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।
6. छात्रावास के कक्ष के अन्दर एक ट्यूब लाईट, एक सी0एफ0एल0, एक नाईट बल्ब व एक पंखा है। यदि छात्र के कमरे में कूलर, प्रेस, हीटर, पानी गर्म करने की रोड आदि होगी तो छात्र पर आर्थिक दण्ड के रूप में 700/- (सात सौ रुपये) लगेगा। किन्तु यदि पुनः छात्र के कमरे में उक्त वस्तुएं मिलती हैं तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
7. यदि छात्र को अपने कक्ष में प्रेस व कूलर रखना है तो अनुमति लेकर 1500/- (पन्द्रह सौ) रुपये वार्षिक शुल्क जमा कर अनुमति दी जायेगी।
8. छात्रावास के बाहर जाने का समय प्रातः 6 से 9.30 तक होगा इस अवधि में बाहर जाने व अन्दर आने पर छात्रावास गेट पर अंकन करना अनिवार्य है। यदि बिना अंकन के छात्र बाहर जायेगा तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत निर्णय लिया जायेगा।
9. छात्रावास से बाहर जाने का समय प्रातः 6 से सांय 9.30 तक होगा। इस अवधि में बाहर जाने व अन्दर आने पर छात्रावास गेट पर अंकन करना अनिवार्य है। यदि बिना अंकन के छात्र बाहर जायेगा तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत निर्णय लिया जायेगा।
10. छात्रावास के प्रत्येक छात्र को अपनी नियमित कक्षाओं में जाना अनिवार्य होगा।

11. छात्रावास से अवकाश पर जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अवकाश प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।
12. छात्रावास में जो छात्र मोबाइल फोन रखेंगे, उन्हें अपना मोबाइल नम्बर के साथ-साथ मोबाइल सेट का मेक सिरीयल नम्बर छात्रावास कार्यालय में लिखकर देना अनिवार्य है।
13. छात्र छात्रावास में लैपटॉप/डेक्स टॉप, जो भी रखेंगे, उसका मेक व सिरीयल नम्बर छात्रावास कार्यालय में लिखकर देना अनिवार्य है।
14. छात्रावास परिसर में रेगिंग, दुर्व्यवहार अथवा किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां निषिद्ध है। किसी भी छात्र को दोषी पाये जाने पर उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
15. सभी छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षा समाप्ति अथवा ग्रीष्मावकाश से पूर्व छात्रावास पूर्णतः खाली करना होगा।
16. छात्रावास परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार का सामपि पदार्थ व धूम्रपान वर्जित है।
17. छात्रावास परिसर के अन्दर वह खेल-कूद प्रतिबन्धित रहेंगे, जिससे छात्रावास के शीशे व बागवानी को क्षति पहुंचति हो।
18. छात्रों को छात्रावास में कम से कम छह घण्टे स्वाध्याय करना प्रतिदिन अनिवार्य है।
19. छात्रावास में मनोरंजन के रूप में टी0वी0 का समय सांय 5 से 6 बजे, 7.30 से 9.00 बजे तक होगा। रविवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तथा 15 अगस्त व 26 जनवरी को देशभक्ति कार्यक्रम देखने की पूर्ण अनुमति रहेगी।
20. प्रत्येक छात्र को 15 अगस्त व 26 जनवरी को विश्वविद्यालय ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
21. श्रद्धानन्द बलिदान दिवस की शोभायात्रा में प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
22. किसी समस्या होने की स्थिति में कोई भी छात्र अपनी शिकायत लिखित रूप से दे सकेगा जिसमें यथासमय में निर्णय लेकर समाधान किया जायेगा।
23. छात्रावास कैन्टीन के हॉल के अन्दर ही छात्रों का नाश्ता, दोपहर का भोजन, सांय चाय व रात्रि का भोजन करना होगा। कैन्टीन हॉल के बाहर नाश्ता व भोजन प्रतिबन्धित है।
24. कैन्टीन का समय निम्न प्रकार होगा :-
 - सुबह नाश्ते का समय प्रातः 8 बजे से 9.15 तक होगा।
 - दोपहर के भोजन का समय 12.30 बजे से 2.30 तक होगा।
 - चाय का समय 5 से 5.30 बजे तक होगा।

- रात्रिकालीन भोजन का समय 7.30 से 9.30 बजे तक होगा।

नोट – भोजन का निर्धारित चार्ट संलग्न है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आश्रमाध्यक्ष की अनुमति से ही किया जायेगा।

25. छात्रावास परिसर में लघुशंका, थूकना, कूड़ा फेंकना या अन्य तरीके से गन्दगी करना निषिद्ध है।
26. छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार का वाहन रखना वर्जित है।
27. समय-समय पर छात्रों को आवश्यकता अनुसार जो नियम व उपनियम सूचना पट के माध्यम से दिये जायेंगे, उनका पालन करना अनिवार्य होगा।
28. छात्रावास के किसी भी छात्र को गंगनहर में नहाना निषिद्ध है। यदि कोई छात्र गंगनहर में नहाते हुए पकड़ा गया तो उसका आबंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। यदि गंगनहर में नहाते हुए किसी छात्र के साथ कोई घटना घटती है तो उसका उत्तरदायी छात्र के माता-पिता व अभिभावक होंगे।
29. छात्रावास का प्रत्येक छात्र पूर्णतः शैक्षिक गतिविधियों में ही रहेगा।
30. शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय के छात्रावासों में कोविड-19 गाईडलाईन के अनुपालन हेतु छात्रावास शुल्क में प्रतिछात्र 3,000/-रु० प्रतिवर्ष वार्षिक अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

घोषणा

मैंने छात्रावास के उपरोक्त समस्त नियमों को पूर्णतः समझ लिया है। जिसका मैं निष्ठा से पालन करूँगा। छात्रावास आवंटन कमेटी द्वारा बताये गये सभी निर्देशों का भी पालन स्वीकार करता हूँ, जिसका मैं पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूँगा। यदि छात्रावास अध्यक्ष / छात्रावास कमेटी समझती है कि मैं नियमों के विपरीत आचरण कर रहा हूँ तो मेरा आवंटन निरस्त कर दिया जाये।

(अभिभावक / संरक्षक हस्ताक्षर)

(छात्र हस्ताक्षर)

शुल्क विवरण

1. छात्रावास सुरक्षा धन : 5,000 / – (पांच हजार रुपये) Gen., ST, SC, OBC, PWD छात्रों हेतु।
2. छात्रावास वार्षिक शुल्क : 15,000 / – (पन्द्रह हजार रुपये) Gen., OBC छात्रों हेतु।
10,000 / – (दसहजार रुपये) ST, SC छात्रों हेतु।
3. छात्रावास भोजन शुल्क : 2,500 / – (दो हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह)
4. कोविड-19 गार्डलाईन के अनुपालन हेतु छात्रावास शुल्क में प्रतिछात्र 3,000 / – रु० प्रतिवर्ष वार्षिक अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

(अभिभावक / संरक्षक हस्ताक्षर)

(छात्र हस्ताक्षर)